POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.03.2025

1.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा अन्तर्राज्जीय 04 चोर/लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से कुल 06 लाख रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक **01.03.2025** को **थाना सेक्टर-58** नोएडा पुलिस द्वारा अभियुक्त रमन कामत पुत्र नन्दलाल कामत नि0 ग्राम सुरसाही मौहल्ला वर्माजी टोला थाना फुलप्रास जिला मधुबनी बिहार को बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया। अभियुक्त पूछताछ एवं मैनुअल इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर सेक्टर-62, नोएडा से उक्त घटना में शामिल अन्य 03 सहअभियुक्तो को अमित पुत्र दुल्ली कामत, देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल पुत्र रामअवतार व गुड्डू कुमार कामत पुत्र शिव शंकर को **गिरफ्तार** किया गया है। कुल 04 अभियुक्त **गिरफ्तार** किये गये है। जिनके कब्जे/निशानदेही से कुल 06 लाख रूपये नगद चुराई हुयी धनराशि बरामद हुयी है।

घटना का विवरण-- दिनांक 23.02.2025 को वादिया द्वारा थाना सेक्टर-58, नोएडा पर दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनाँक 22.02.2025 को शाम के समय वादिया अपने नौकर राहुल (जो उनके घर 4 दिन पहले ही आया था) अपने 2 साथियो को बुलाकर वादिया को घर मे अकेले पाकर बंधक बना लिया और वादिया के घर की अलमारियो की चाबी लेकर घर मे रखा जेवर, नगदी व जरुरी कागजात प्रापर्टी पेपर व घर मे खडी फार्चूनर गाडी को चोरी कर ले गये, परन्तु ये लोग उक्त फार्चूनर गाडी को साई मन्दिर सेक्टर 61 के पास छोडकर फरार हो गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-83/2025 धारा 305, 127(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 25.02.2025 को थाना क्राईम ब्रांच चाण्क्यपुरी द्वारा घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त राजेश राय व प्रवीण उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 04 लाख 70 हजार रूपये बरामद किये गये थे। अब तक गिरफ्तार कुल 06 अभियुक्तो के कब्जे से चोरी किये गये 10 लाख 70 हजार रूपये बरामद हो चुके है।

पूछताछ का विवरण--

अभियुक्तगणो से सामूहिक रूप से की गयी पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय बाते बतायी गयी है।

1.अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि हम लोग सामूहिक रूप से योजना बनाकर इस तरह की घटनाओ को अंजाम देते है। इस तरह की घटना करने की योजना हमारे द्वारा 05 माह पूर्व बिहार मधुबनी में बनायी गयी थी, योजना के क्रम में सबसे पहले किसी अन्य के नाम से एक्टिवेट सिम खरीदे थे तथा रमन व अमित द्वारा पूर्व से मधुबनी के रहने वाले जो सिक्योरिटी व कुक अथवा घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने वाले लोगो के नम्बर ढूढंकर उन्हे बताया कि एक लडके को कुक की नौकरी चाहिये। नोएडा अथवा दिल्ली की किसी कोठी में नौकरी हो तो बताना। इनके द्वारा राहुल नाम से बना एक फर्जी आधार कार्ड एडिट कर बनवाया गया तथा अपना नम्बर सेक्टर-44, नोएडा में काम करने वाले एक व्यक्ति रविकान्त को दिया गया।

2.इसके बाद ये लोग चिराग दिल्ली आये व कमरा किराये पर लिया तथा एक पुराना मोबाईल फोन 2800 रूपये में खरीदा गया, जिसमें पूर्व से खरीदे गये एक्टिवेट सिम डाले गये।

3.सेक्टर-61, नोएडा के रहने वाले राकेश को एक कुक की आवश्यकता थी उन्होने इसके बारे में अपनी पुत्री जो गुडगांव में रहती थी को बताया। राकेश की पुत्री ने अपने यहां काम करने वाले अखिलेश से एक नौकर की व्यवस्था करने के लिये कहा । अखिलेश के मामा का लडका रंजीत जो बिहार से आने वाले लडको को काम दिलवाता है, उसने रविकान्त से व अन्य लोगो से सम्पर्क किया तो रविकान्त ने उपरोक्त राहुल का नम्बर रंजीत को दे दिया। रंजीत ने यह नम्बर अखिलेश को दे दिया। अखिलेश व रंजीत ने बिना वैरीफाई किये यह नम्बर राकेश को दे दिया तथा राकेश के घर सेक्टर-61 की लोकेशन देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल के नम्बर पर भेज दी।

4.अखिलेश ने देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल को बता दिया कि इस लोकेशन पर चले जाना, अखिलेश, देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल को शक्ल से नही जानता था, राकेश द्वारा अखिलेश का विश्वास कर देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल को काम पर रख लिया गया।

5. देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल ने अपने सभी साथियो को राकेश के घर की लोकेशन भेज दी, योजना के अनुसार यह सभी लोग शाम के समय जब घर पर कोई नही था केवल राकेश की पत्नी घर पर थी तो देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल ने अपने साथियों को बुलाया, इनके साथियो में से गुडडू व राजेश घर के अन्दर गये तथा सोनू जो ड्राइवरी का काम करता है घर के बाहर खडा था तथा दो लोग अमित व रमन गली में रैकी कर रहे थे, घर में घुसे देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल, गुडडू व राजेश द्वारा सुमन को बंधकर बनाकर घर में रखे लगभग 53 लाख रूपये व ज्वैलरी चोरी कर लिये तथा घर से गाडी फार्चूनर की चाबी लेकर गाडी में बैठकर ये लोग वहां से चले गये।

6. इन लोगो द्वारा गाडी सांई मन्दिर के पास छोडी दी गयी, इसके बाद यह लोग आटो से चिराग दिल्ली पहुचे। प्रत्येक ने आपस में 08-08 लाख रूपये बांट लिये, इसके बाद दो लोगो को छोडकर बिहार चले गये वहां पर इन्होने मौज मस्ती में पैसा खर्च किया गया, खर्च करने के बाद ये लोग रमन को मधुबनी बिहार में छोडकर देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल, गुडडू व अमित वापस आ गये, जिन्हे सेक्टर-62 गोल चक्कर से आज दिनांक 01.03.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

7.प्रवीण उर्फ सोनू जो ड्राईवर का काम करता है तथा राजेश राय को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 25.02.2025 को पकडा गया, जिन्हे थाना सेक्टर-58 नोएडा द्वारा ट्रांजिट रिमाण्ड पर लेकर जेल भेजा जा चुका है।

अब तक अभियुक्तणो के कब्जे से कुल 10 लाख 70 हजार रूपये बरामद हो चुके है, अन्य बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण--

1.अमित कुमार रावत पुत्र दुल्ली कामत नि0 ग्राम गोठ खुटोना थाना खुटोना जिला मधुबनी बिहार

2.देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल पुत्र रामअवतार नि0 ग्राम कालीपुर पोस्ट परसा थाना फूलप्रास जिला मधुबनी बिहार

3.गुडडू कुमार कामत पुत्र स्व0 शिव शंकर कामत नि0 ग्राम सुरयासी मोहल्ला वर्माजी टोला थाना फुलप्रयास जिला मधुबनी बिहार

4.रमन कामत पुत्र नन्दलाल कामत नि0 ग्राम सुरसाही मौहल्ला वर्माजी टोला थाना फुलप्रास जिला मधुबनी बिहार (मधुबनी बिहार से गिरफ्तार)

पंजीकृत अभियोग--

मु0अ0सं0-83/2025 धारा 310(2), 127(2), 3(5), 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 - 602/2023 धारा 392, 397, 34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना केशवपुरम दिल्ली बनाम सोनू

2.मु0अ0सं0-816/24 धारा 395, 397, 411, 34 भादवि थाना सरस्वती विहार दिल्ली बनाम राजेश राय

3.मु0अ0सं0-295/11 धारा 120बी, 392, 395, 397, 343, 34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट व 37(आई), (ए), मॉम्बे एक्ट 3(आई) (पप))(पपप) मकोका एक्ट थाना लोक मान्य तिलक मार्ग मुम्बई- बनाम राजेश राय

4.मु0अ0सं0-281/11 धारा 397, 34 भादवि थाना लोक मान्य तिलक मार्ग मुम्बई - बनाम राजेश राय

5.मु0अ0सं0- 01(08)/2017 धारा 395, 397 भादवि थाना लाल बाजार कोककत्ता वेस्ट बंगाल बनाम अमित

6.मु0अ0सं0- 380/2018 धारा 395, 397, 506, 171ए, 34 भादवि थाना नारायणा साउथ वेस्ट दिल्ली बनाम अमित

7.मु0अ0सं0- 503/2015 धारा 395, 397, 120बी भादवि थाना न्यू फ्रेंडस कालोनी साउथ ईस्ट दिल्ली बनाम अमित

8.मु0अ0सं0- 150/2015 धारा 25(1) बी, ए 26 आमर्स एक्ट व 412 भादवि थाना अररिया बिहार बनाम गुडडू

9.मु0अ0सं0- 439/2014 धारा 395, 412 भादवि थाना इलाहाबाद उ0प्र0 बनाम गुडडू

10.मु0अ0सं0- 503/2015 धारा 395, 397, 120बी भादवि थाना न्यू फ्रेंडस कालोनी साउथ ईस्ट दिल्ली बनाम गुडडू

11.मु0अ0सं0- 444/2015 धारा 392, 34 भादवि थाना दल्ली बनाम गुडडू

12.मु0अ0सं0- 380/2015 धारा 395, 34 भादवि थाना दल्ली बनाम गुडडू

बरामदगी का विवरण--

कुल नगद 10 लाख 70 हजार रूपये बरामद

2. थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा दिनांक **01.03.25** को वांछित अभियुक्त माधव उपाध्याय पुत्र अरुण उपाध्याय को सेक्टर 71 के बडे पार्क से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना तथा वादिया की बिना मर्जी से उसका गर्भपात करा देने के सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0सं0 37/25 धारा 115(2)/352(2)/351(2)/89/64 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

माधव उपाध्याय पुत्र अरुण उपाध्याय निवासी बी 71-72 टॉप फ्लोर राईट हैंड जीडी कालोनी मयूर विहार फेस 3 ईस्ट दिल्ली 96 उम्र 36 वर्ष

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 37/25 धारा 115(2)/352(2)/351(2)/89/64 बीएनएस थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा , कमिश्नरेट।